

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2016/221-30

जयपुर, दिनांक:- 14.03.2023

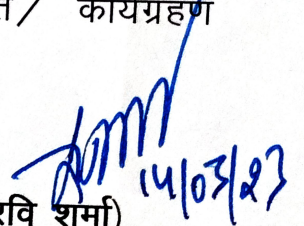
आदेश

निम्न मंत्रालयिक कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन लोकहित में निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०
1.	श्री गिरधारीलाल बेनीवाल, कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बीकानेर	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, चूरु	रिक्त पद पर

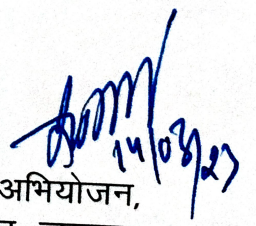
उक्त स्थानान्तरण स्वेच्छिक है, इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त कर्मचारी की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन _____।
6. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर